न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 05 / 2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कल्याणसिंह आत्मज शिवसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. मदनसिंह आत्मज शिवसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. गंगासिंह आत्मज मोहनसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. शंकरसिंह आत्मज शिवसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. स्वरूपसिंह आत्मज गुमानसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. गोंविन्दसिंह आत्मज गुमानसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

6 सोहन आत्मज तुलछा माली निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

7 कमला पत्नि लक्ष्मण माली निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

8 पूरणसिंह आत्मज कल्याणसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

9 लादुसिंह आत्मज जीवनसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

10 सांवतसिंह आत्मज उम्मेदसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

11 गोविन्दसिंह आत्मज उम्मेदसिंह राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

12 दीपा आत्मज मांगु तेली निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

13 सोहन आत्मज मांगु तेली निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

14 सुवा आत्मज मांगु तेली निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

15 नोजी बेवा रूपा तेली निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

16 अर्जुनसिंह आत्मज शंभुसिंह राजपुत राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

17 भोपालसिंह आत्मज शंभुसिंह राजपुत राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

18 कमलाकंवर पत्नि मदनसिंह राजपुत राजपुत निवासी खुंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 07.03.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम खुंटिया पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1157 / 624 रकबा 0.69 हैक्ट., आराजी संख्या 104 रकबा 2.69 हैक्ट., आराजी संख्या 105 रकबा 0.05 हैक्ट., आराजी संख्या 106 रकबा 2.94 हैक्ट., आराजी संख्या 107 रकबा 0.61 हैक्ट., आराजी संख्या 108 रकबा 3.76 हैक्ट., आराजी संख्या 176 रकबा 2.05 हैक्ट., कुल किता 7 कुल रकबा 12.79 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 22 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने,

काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मवेशी वगैरा चराने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थी को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् कहा लेकिन वपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 23.12.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी करवाने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 10.01.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम खुंटिया पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1157/624 रकबा 0.69 हैक्ट., आराजी संख्या 104 रकबा 2.69 हैक्ट., आराजी संख्या 105 रकबा 0.05 हैक्ट., आराजी संख्या 106 रकबा 2.94 हैक्ट., आराजी संख्या 107 रकबा 0.61 हैक्ट., आराजी संख्या 108 रकबा 3.76 हैक्ट., आराजी संख्या 176 रकबा 2.05 हैक्ट., कुल किता 7 कुल रकबा 12.79 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 22 पर स्थित हैं। उक्त आराजियात की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 400/– अक्षरे दौ सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 6000/– अक्षरे छः हजार सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा